ए.11018/04/2019–एम.एच.2/एन.सी.डी.–1

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी–1

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः .... अप्रैल, 2023

जन–सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में अवर श्रेणी लिपिक पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन–सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी–I.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 753 'ए' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते baidyanath.prasad@nic.in पर भेज सकते है।

(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं0 011–2306 1510

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: , 2023

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहाँ तक उसका संबंध अवर श्रेणी लिपिक/स्टोर लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर/आशुलिपिक टंकक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अवर श्रेणी लिपिक	9* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)	(i) 12 वीं कक्षा या समतुल्य। (ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट, क्रमशः 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा के समतुल्य है।) (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पाँच कुंजी दबाव के आधार पर पैंतीस शब्द प्रति मिनट एवं तीस शब्द प्रति मिनट, क्रमशः 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा या 9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा के समतुल्य

						है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
हाँ, जैसा स्तम्भ सं. (11) में इंगित है।	दो वर्ष।	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पच्चासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10 % रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में ऐसे समूह 'ग' कर्मियों में से भरी जाएंगी, जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए	जैसा स्तम्भ 10 में बताया गया है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):- विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति, पुष्टि/प्रोन्नति(दोनों) के संबंध में विचार करने के लिए:- 1. अपर निदेशक - अध्यक्ष, 2. उप निदेशक(पुनर्वास) - सदस्य, 3. प्रोफेसर(पीएमआर) - सदस्य, 4. संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य।	लागू नहीं होता।

		अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष)। (iii) पाँच प्रतिशत वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। (iv) 5 % रिक्तियाँ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।			

[ए.11018/04/2019-एमएच.II]

(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार